संख्या–856 / पॉच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक : 13 अप्रैल, 2020**

विषय–प्रदेश में एल1 फैसिलिटी के रूप में चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण एवं संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के सम्बन्ध में पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है। उक्त के क्रम में आपके द्वारा जनपदों में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एल1 फैसिलिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। अधिकतर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 10 आक्सीजन सिलेण्डर से कम उपलब्ध है एवं अधिकांश स्थानों पर आक्सीजन कन्सेन्ट्रेटर एवं पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध ही नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा शीघ्र जारी होने वाले अनआइड फण्ड से इन एल1 चिकित्सालयों में न्यूनतम 15 ऑक्सीजन सिलेण्डर, 05 नेबूलाइजर एवं 05 पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता दिनांक 20.04.2020 तक सुनिश्चित कर लें।

कृपया जनपदों में चिन्हित एल1 चिकित्सालयों में क्वारेन्टाइन पर रखें मरीजों को असुविधा न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि वहॉ उच्चतर साफ–सफाई की व्यवस्था का प्रबन्ध हो। चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को मलेरिया, डेंगू इत्यादि वेक्टर जनित रोगों की आशंका के दृष्टिगत फागिंग (Fogging), डिस इन्फेक्शन (Disinfection) आदि की कार्यवाही भी सुनिश्चित कर ले।

भवदीय,

13.4.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–856 (1)/ पॉच–5–2020–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0।
3– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

13/4/2020

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

suneel sir go com-4